कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ।

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्याः–15/अ0अ0/2018–19

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाइन http://etender.up.nic.in के माध्यम से टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक **23.03.2019** तक अपरान्ह 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसकी Technical Bid दिनांक **23.03.2019** को अपरान्ह 3:00 बजे ऑन लाइन खोली जायेगी। उक्त निविदा की Technical and Financial bid दिनांक **15.03.2019** को 12:00 बजे अपरान्ह से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत जी0एस0टी0 रहित (लाख रू0 में)	अग्रिम प्रतिपूर्ति धनराशि (रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य स्टेशनरी चार्ज सहित (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	Construction of Box Culvert Bridge at Km. 9.250 of Gosainganj Dy.	21.14	42500.00	60 days	836.00	B & Above

नियम एवं शर्तेः–

1– यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** सूचना विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट **http://idup.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

2– प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्वघोषणा प्रमाण पत्र (IDT-3), एवं समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

3– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

4– एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये पूर्ण एवं आंशिक संशोधन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी निविदादाता का दावा मान्य नहीं होगा।

5– रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगीं। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार GST देय बिक्री कर, आयकर, स्टाम्प रायल्टी देनी होगी।

6– कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो यह निविदा में भाग नही ले सकेगा।

7– राज्य वार कौसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगें। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टी की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

8– निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव, जो निविदा लागत का 80 प्रतिशत से कम न हो, का संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

9– विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के एक दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

10– चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्व घोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बंधित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

11– निविदा स्वीकार उपरान्त शेष धरोहर धनराशि 8 प्रतिशत एवं नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी अनुबन्ध गठन से पूर्व जमा करना आवश्यक होगा।

12– निविदा में दरें समस्त करों सहित होगी। केवल जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगा।

13– कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण टी0ए0सी0 व अन्य किसी चेकिंग संस्था द्वारा किये जाने पर यदि कोई वसूली निकाली जाती है तो ठेकेदार को वहन करना होगा।

14– अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा–पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नही किया जायेगा।

15– आई0डी0 फार्म 111 व 112 में दी गयी शर्ते एवं अन्य शर्ते ठेकेदार को मान्य होगी।

16– शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2अडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1% से 10% तक दर कम देने पर 0.5% प्रति 1% कमी पर तथा 10% से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1% कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

17– शासन के सुसंगत आदेश के अभाव में डिप्लोमाधारी ठेकेदारों की निविदाओं को धरोहर धनराशि के बगैर स्वीकार नही की जायेगी।

18– टेण्डरदाता को दरे अंको व शब्दों में भरना अनिवार्य होगा। अंको व शब्दों में भरे गये दर में यदि अन्तर होगा तो शब्दों में दी गयी दर मान्य होगी।

19– कार्य की मात्रा एवं अवधि घट बढ़ सकती है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा एवं इस सम्बंध में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

क्रमशः पेज—2

20– समस्त कार्य समयबद्ध हैं अतः निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने हेतु यदि रात्रि काल में कार्य काराये जाने की आवश्यकता होगी तो कार्यों के सम्पादन हेतु समुचित प्रकाश की व्यवस्था (डीजल, जनरेटर, ईंधन एवं पानी इत्यादि सहित) ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिये अलग से कोई देय नही होगा।

21– धरोहर धनराशि (परिपक्वता अवधि 6 माह से कम नही होना चाहिये), टेण्डर सेल धनराशि (कर सहित), एन.एस.सी./एफ.डी.आर. अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में, जो राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा निर्गत हो, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के नाम/पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कापी व प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रान्जैक्शन नं0 को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाला जायेगा तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

22– निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

23– निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने /बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

24– यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो, तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

25– अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्राख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

26– शासनादेश संख्याः 383/36–2–2010 श्रम अनुभाग–2,दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली–2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

27– निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैण्ड प्रतिलिपि को टेक्निकल बिड के साथ ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा उसकी मूल प्रतियॉ दिनांक 23.03.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ में प्री–क्वालिफिकेशन बिड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

I. निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।
II. निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र।
III. IDT-I, IDT-II, IDT-III, (स्वघोषणा पत्र) प्रमाण पत्रों की प्रति मूल रूप में।
IV. आयकर चुकता प्रमाण–पत्र।
V. समान प्रकृति के कार्य सन्तोष जनक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण–पत्र जो निविदा की लागत से 80 प्रतिशत से कम न हो।
VI. धरोहर धनराशि मूल रूप में।
VII. श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
VIII. पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0 का प्रमाण पत्र।

28– निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा कय कर सकेगा व डाल सकेगा

29– Technical Evalution by Tender committee will be done Offline. Financial bid will be opened of only those bidders who will qualify in the offline technical bid.

30– फाइनेंसियल बिड (Financial/Price Bid) परिणाम ऑनलाइन होगा।

31– सम्पूर्ण निविदा प्रकिया सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रचलित नियमों व शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– /लखशान/निविदा सूचना/ लखनऊः दिनांक 2019

विषयः– ई–टेडरिंग हेतु अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या–15/अ0अ0/2018–19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई–टेडरिंग अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या–15/अ0अ0/2018–19 की 06 प्रतियां मय सी0डी0 के साथ संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया इसे नियमानुसार एक दिन के अन्तराल में 02 प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित अंक की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 06 प्रतियां
मय सी0डी0 सहित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ

<u>पत्रांक :– / अ.अ./निविदा सूचना/तदिनांकः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
2– अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) के निर्देशों के अनुपालन में सी0डी0 सहित निविदा सूचना वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4– जिलाधिकारी, लखनऊ को शासनादेश सं0–566/07–27–सिं0–3–08 टी/84, दिनांक 22.02.2007 के अनुपालन में।
5– अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप अपनी डी0एस0सी0 सहित दिनांक 23.03.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।
6– सहायक अभियन्ता, द्वितीय, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।
7– नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ